परीक्षण मद 100

1. नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर सवालों के जवाब लिखिए- 4×2=8

पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि अपराध की सूचना मिलने पर नज़दीकी थाने में फ़ौरन एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक, लिखित या किसी भी रूप में मिल सकती है। एफ.आई. आर. में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफ़.आई.आर. के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफ.आई.आर. की एक नकल कॉपी मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है।

1. एफ.आई.आर.क्यों दर्ज करनी चाहिए?

----

2. एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले को उसकी एक कॉपी क्यों दी जाती होगी?

----

3. एफ.आई.आर. में किसका नाम और पता लिखा होता है?

हमने सीखा- विशेष बिंदुओं का पता लगाने के लिए विषयों या पाठ्य-वस्तु के इर्द-गिर्द बातचीत में भाग लेना। अपने जीवन के अनुभवों तथा स्थितियों से जोड़ना|